

Today I received the news paper today

Most urgent

RAT 4/5/16

ई-मेल/तुरन्त

47

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग

4/5/2016

जयपुर दिनांक 04-5-16

क्रमांक प. 12 (6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट
निदेशक,

प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर ।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रभावी प्रवेश प्रक्रिया को स्थगित करने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य की समस्त गैर-सरकारी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश का कार्य इस कार्यालय से जारी पत्र क्रमांक प.12(6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश/2014 पार्ट दिनांक 30.03.2016 के अनुसरण में किया जा रहा है । माननीय उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ, जयपुर में डी.बी.में दाखिल सिविल रिट पिटिसन (पी.आई.एल.) संख्या 4630/2016 (अम्युथानम सोसाइटी बनाम राज्य सरकार) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक 03.05.2016 के अनुसरण में शैक्षिक सत्र 2016-17 में निःशुल्क सीटों पर चल रही प्रवेश प्रक्रिया जो दिनांक 05.05.2016 को नियत थी, को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक स्थगित किया जाता है ।

उक्त आदेश को अपने अधीनस्थ कार्यालयों तथा गैर-सरकारी विद्यालयों में शीघ्र प्रसारित करवाने का श्रम करें ।

भवदीय,

(नासीरुद्दीन कुरैशी)

व.शासन उप सचिव

शिक्षा- ग्रुप-5

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/प्रारं/RTE/C/18878/निशुल्क प्रवेश/16-17/48

दिनांक:-04-5-16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा, शासन सचिवालय जयपुर ।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, स्कूल शिक्षा(ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को उनके पत्रांक:-
3. निजी सचिव, आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद शिक्षा संकुल जयपुर ।
4. प्रमुख प्रणाली विश्लेषक NIC केन्द्र, शासन सचिवालय, जयपुर ।
5. उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त).....
6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (समस्त)को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अधिनस्थ कार्यालयों तथा गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त सूचना अविलंब प्रसारित करावें ।

अजीत सिंह

(अजीत सिंह)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर